lafpdkLr lafpdkvksa dh lwph&2014

tqykbZ&2014

f'k{kk foHkkx

de la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	02 / लोक(शिक्षा)15 / 12	दिनांक 1.1.1971 से दिनांक 31.3.1973 तक का अन्तर्वेतन राशि बकाया के संबंध में श्री रामप्रसाद वर्मा देवघर का परिवाद ।	01.07.2014	जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनेसार परिवादी के बकाया का भुगतान हो जाने के उपरान्त माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
2.	01 / लोक(शिक्षा)09 / 09	डॉ0 क्किटर तिग्गा, पूर्व कुलपती एस. के. एम.यू. दुमका एवं अन्य पर पुस्तकालय कोष के दुरूप्योग का आरोप के संबंध में श्री अमर कुमार सिंह अंग्रेजी प्राध्यापक दुमका का परिवाद ।	16.07.2014	निगरानी ब्यूरों से प्राप्त जांच प्रगतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाये आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
3.	02 / लोक(शिक्षा)33 / 12	फरवरी–मार्च 1993 का वेतन तथा वर्ष 1993–94 का बोनस बकाया रहने के संबंध में राम कलेवर सिंह पलामू का परिवाद ।	16.07.2014	जिला शिक्षा अधीक्षक खूँटि से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के प्रोन्नति को छोड़कर अन्य सभी वाद का निराकरण कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त बंद कर दिया गया ।

[kk| vkiwfrZ foHkkx

de la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	01 / लोक(खा.आ.)03 / 13	श्री जयंती कान्त शरण, सेवानिवृत आपूर्ति निरीक्षक द्वारा भ्रष्टाचार कर आय से अधिक संपति अर्जित करने के संबंध में श्री रविन्द्र सिन्हा, खूँटी का परिवाद ।	16.07.2014	आरोपी लोक सेवक 11 वर्ष पूर्व सेवानिवृत हो गये है तथा परिवाद इतने विलंब से दाखिल किया गया है। परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत कालबाधित रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे बंद कर दिया गया ।

Hkfe l/kkj ,o jktLo foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	01/लोक(राजस्व)28/13	अंचलाधिकारी देवघर द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने के संबंध में श्री राजेन्द्र दास , देवघर का परिवाद ।	15.07.2014	परिवाद से संबंधित मामला उपायुक्त देवघर के यहा केस सं. आर.एम.ए. 28/2012 लंबित है । अतः परिवाद पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज कर दिया गया ।
2.	01/लोक(राजस्व)26/13	पुसतैनी जमीन मे जबरन पी.सी.सी. सड़क बनाने के संबंध में श्री परेश कुमार रवानी, मधुपुर का परिवाद ।	15.07.2014	उपायुक्त देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के जमीन पर कोई पथ निर्माण नहीं कराया गया है तथा परिवादी द्वारा लिखित स्वीकार किया गया है उनके जमीन पर कोई पथ निर्माण नहीं किया गया है। अतः उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	02/लोक(राजस्व)30/2012	तामाड़ अंचल द्वारा जमीन नापी के पैसा मांगने के संबंध में श्री हिरालाल साहू, तमाड़ राँची का परिवाद ।	15.07.2014	सभी आरोपीयों से प्राप्त कारण पृछा के जवाब के अनुसार परिवादी के जमीन का सीमांकन कर दिया गया है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
4.	02/लोक(राजस्व)17/12	जमीन के सीमाकन में गउलत आदेश पारित करने के संबंध में श्री बैजनाथ तिवारी, नगर उटारीए गढ़वा का परिवाद ।	30.07.2014	अपर समाहर्ता गढ़वा से प्रतिवेदन के अनुसार जमीन का सीमाकन कर दिया गया अतः इस बिन्दु अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
5.	02/लोक(राजस्व)05/2012	दाखिल खारिज नहीं करने के संबंध में सौरभ चक्रवर्ती लालपुर, राँची का परिवाद ।	28.07.2014	उपायुक्त राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी का दाखिल खारिज का आवेदन नियमानुसार खारिज कर दिया गया है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

okf.kT;dj foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	02/लोक(वाणिज्यकर)04/13	सेवा संपुष्टि एवं ए.सी.पी. लाभ के संबंध में श्री देवनरायण सिंह, साहेबगंज का परिवाद ।	16.07.2014	सचिव –सह–आयुक्त वाणिज्य कर विभाग झारखण्ड सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी का परिवाद सरकार के निति निर्धारण है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

foÙk foHkkx

de la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	02/लोक(वित्त)01/13	सेवान्त लाभ के संबंध में श्री सुरेश प्रसाद यादव, हजारीबाग का परिवाद ।	15.07.2014	अपर वित्त आयुक्त (अंकेक्षण), झारखण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद का माननीय लोकायुक्त द्वारा संचिकास्त कर दिया गया ।

iFk fuekZ.k foHkkx

de la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	02/लोक(पथ)01/13	बोकारो जिला अन्तर्गत चास चन्दनकियारी रघुनाथपुर पथ निर्माण कार्य में विभागीय अधिकारी के मिलीभगत से पथ निर्माण की गुणवता और प्रावक्लन की गुणवता में हेरा फेरी कर अनियमितता के संबंध में मो0 शोएब अंसारी बोकारो का परिवाद ।	10.07.2014	प्रधान सचिव पथ निमार्ण विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाये आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

m|ksx foHkkx

de la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	02/लोक(उद्योग)01/12	शौकत हयात खॉ, सेवानिवृत लिपिक का तृतीय एम.ए. सी.पी. की संपुष्टि विभाग द्वारा नहीं करने के संबंध में ।	15.07.2014	संबंधित विभाग के निदेशक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथ परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी स्वयं दोषी है तथा विभाग उनके विरूद्ध कार्रवाई कर रही है । अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

LokLF; foHkkx foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02/लोक(स्वा0)05/13	सामान्य भविष्य निधि राशि के भुगतान नहीं होने के संबंध में श्रीमती सरोजनी मसीह लातेहार का शिंकायत ।	10.07.2014	शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी लातेहार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी के परिवाद का निराकरण कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(स्वा0)04/13	पेंशन नहीं मिलने के संबध में श्रीमती कौशल्या देवी का परिवाद ।	10.07.2014	शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी देवघर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी के परिवाद का निराकरण कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

dkfeZd iz'kklfud lq/kkj ,oa jktHkk"kk foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	01/लोक(कार्मिक)01/13	गिरिडीह के तत्कालिन उपायुक्त एवं इनके अधिनस्थ अधिकारियों द्वारा चतुर्थवर्गीय परीक्षा में भ्रष्टाचार के संबंध में ।	15.07.2014	आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई कर दिया गया है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/ लोक(कर्मिक)01/11	प्रताप सिंह द्वारा गन लाईसेंस एवं पासपोर्ट हेतु दिये गये आवेदन का निष्पादन नहीं होने के संबंध में ।	15.07.2014	उपायुक्त सरायकेला खरसावां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के आलोक में परिवाद का निराकरण हो जाने के बाद माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को बंद कर दिया गया ।

iqfyl foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02/लोक(पुलिस)05/13	हत्या के कोशिस के आरोपियों पर पुलिस द्वारा कानूनी	11.07.2014	वरीय पुलिस अधीक्षक राँची से प्राप्त जांच प्रतिवदेन के

		कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्रीमती मोना सिंह, डोरण्डा राँची का परिवाद ।		अनुसार पुलिस द्वारा केस दर्ज कर अनुसंधान कई बिन्दुओं पर प्रगति पर है। अतः अन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
2.	01/लोक(पुलिस)07/2013	आदिवासी जमीन पर थाना प्रभारी अरगोड़ा के मिली भ्रत से अवैद्य निर्माण कार्य किये जाने के संबंध में श्री अजय तिग्गा, डिबडीह का परिवाद ।	14.08.2014	वरीय पुलिस अधीक्षक राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के वकील के द्वारा परिवाद पत्र तैयार किया गया है उसे थाना प्रभारी से विरूद्ध कोई शिकायत नहीं है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	02/ लोक(पुलिस)06/14	स्थानीय दबंग व्यक्ति के प्रभाव में आकर मधुपुर पुलिस द्वारा परिवादीनी व उसके परिवार को प्रताड़ित करने तथा झूठा केस में फंसा देने के संबंध में मो0 सुशिला देवी मधुपुर का परिवाद ।	25.08.2014	परिवाद पर एस.डी.जे.एम. मधुपुर द्वारा संज्ञान लेकर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार परिवाद न्यायलय में लंबित है। अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।

xg foHkkx

de la0	lfpdk la[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	02/लोक(गृह) 04/12	स्व0 रामानन्द सिंह झारखण्ड अग्निशामन सेवा के मृत्युपरान्त सेवानत लाभ तथा अनुकम्पा अधारित नौकरी दिलाने के संबंध में विकास प्रकाश कुमार पटना बिहार का परिवाद ।	10.7.2014	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के द्वारा विभाग को सहयोग नहीं करने के कारण उनके परिवाद लंबित है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

i;ZVu foHkkx

de la0	lfpdk la[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	01/लोक(पर्यटन)01/09	श्री अरूण कुमार सिंह (भा.प्र.से.) सचिव पर्यटन विभाग द्वारा झाररखण्ड राज्य में पदस्थापन काल में पद का दुरूप्योग कर नाजायज फायदा उठाने के संबंध में ।	07.07.2014	कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा परिवाद को चलाने में रूचि नहीं दिखाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

uxj fodkl foHkkx

dze la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	01 / लोक(नविवि)02 / 13	झारखण्ड राज्य सेवा देने कि गारंटी अधिनियम 2011 को सख्ती से लागू करवाने के संबंध में श्री वैद्य राजेश श्रीकण्ठ, हजारीबाग का परिवाद ।	18.07.2014	उपायुक्त हजारीबाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी से नये होल्डिंग हेतु आवश्यक कागजात की मांग की गई है उपलब्ध कराने के पश्चात नये होल्डिंग निर्गत कर दिया जाएगा। उक्त के आलोक मे माननीय लोकायुक्त द्वारा पविाद को बंद कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(न.वि.वि)02 / 13	दुमका नगर पालिका द्वारा गंदगी नहीं हटाने के संबंध में श्री हिमांशु पाठक दुमका का परिवाद ।	16.07.2014	उपायुक्त दुमका से प्राप्त कृत कार्रवाई प्रतिवेदन के अनुसार दुमका शहरी क्षेत्र से गंदगी हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

i'kqikyu ,oa eRL; foHkkx

dze la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	01 / लोक(मत्स्य)01 / 12	श्री शंभु प्रसाद यादव जिला मत्स्य पदाधिकारी बोकारो के द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितता के संबंध में श्री कैसर हासमी, तेनुघाट बोकारो का परिवाद ।	15.07.2014	आरोपित लोकसेवक के विस्तुत जवाब तथा योजना मद की बकाया राशि को सरेण्डर कर दिये जाने तथा इस परिवादी द्वारा संतोष व्यक्त किये जाने पर माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

flapkbZ foHkkx

dze la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	01 / लोक(लघु सिंचाई)01 / 2008	श्री अवघ किशोर सिंह उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा तत्कालिन प्रखण्ड विकास पदाधिकरी तारापुर मुंगेर , श्री सिकन्दर झा श्री रामानन्द बैठा तत्कालिन कनीय अभियंता पथ निर्माण विभाग अवर प्रमंडल तारापुर के द्वारा फर्जी ठिकेदार के द्वारा विभिन्न योजनाओं में कार्य करवा कर मजदूरो की राशि हड़प लिये जाने के संबंध में ।	25.07.2014	माननीय लोकायुक्त के आदेशानुसार परिवाद को माननीय लोकायुक्त बिहार पटना के कार्यालय को हस्तान्तरित कर दिया गया ।

ty lalk/ku foHkkx

de la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	02/लोक(जल सं0)04/13	मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग देवघर द्वारा प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति 24.05.1983 को निरस्त करने एवं सेवान्त लाभ के विपत्र से 30463/रू0 की वसूली एवं प्रथम वित्तीय उन्नयन दिनांक 09.08.99 से स्वीकृत कर सम्पुष्टि कराने के संबंध में श्री गोपी राज सिंह, बरमसिया देवघर का परिवाद ।	15.07.2014	परिवादी पूर्व में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में परिवाद से संबंधित मामला दर्ज किया था जिसकी सुनवाई ड्राप कर दिया गया है। उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

xzkfe.k fodkl foHkkx

de la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	02/लोक(ग्रा.वि.वि.) 32/12	प्रज्ञा फाउन्डेशन मधुपुर के संचालक श्री रामानुज सिंह द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में फातिमा बीबी का शिकायत ।	15.07.2014	उपायुक्त देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी के द्वारा लगाया गया आरेप सही नहीं पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(ग्रा.वि.)03/12	राँची जिला में मनरेगा एंव विभिन्न योजनाओं के द्वारा विकास कार्यों में अनियमितता एवं धोखाधड़ी के संबंध में श्री मानकी डोमन सिंह, सोनाहातू राँची का परिवाद ।	28.07.2014	उपायुक्त राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा आरोपित पदाधिकारियों के द्वारा समर्पित कागजातों एवं उनकी ओर की गई बहस पर गहन विचारोपरान्त माननीय लोकायुक्त द्वारा उन्हें आरोप मुक्त कर परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
3.	01/लोक(ग्रा0वि0)03/13	उप विकास आयुक्त–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषाद गुमला एवं अन्य के विरूद्ध घोटाला भ्रष्टाचार तथा प्रताड़ित करने के संबंध में श्री संजय कुमार वर्मा सहायक जिला परिषद गुमला का परिवाद ।	15.07.2014	प्रमंडलीय आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वार परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

dY;k.k foHkkx

de la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02/लोक(क0) 01/2013	सी0 डी0 पी0 ओ0 पतरातु द्वारा सहायिका को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में श्री इम्तियाज अहमद भुरकुण्डा का परिवाद ।	11.07.'2014	उपायुक्त रामगढ़ से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार सेविका एंव सहायिका के आपसी झगड़ा के कारण सहायिका आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं आती हैं इसलिए उनका मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सकता है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

fofo/k foHkkx

de la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02/लोक(विविध)25/12	लंबित देय पावनाओं के भुगतान के संबध में मो0 बलवंती देवी का शिकायत ।	11.07.2014	निदेशक भूमि संरक्षण झारखण्ड राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी के परिवाद का निराकरण कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

f'kdk;r

de la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	शिकायत सं0 169/13	प्रशासन द्वारा कानून के अनुपालन में बरती जा रही अनियमितता के संबंध में श्री वैद्य राजेश श्रीकण्ठ, हजारीबाग का शिकायत ।	18.07.2014	उपायुक्त हजारीबाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी से नये होल्डिंग हेतु आवश्यक कागजात की मांग की गई है उपलब्ध कराने के पश्चात नये होल्डिंग निर्गत कर दिया जाएगा। उक्त के आलोक मे माननीय लोकायुक्त द्वारा पविाद को बंद कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं. 311/14	जमीन को अवैद्य कब्जा से मुक्त कराने के संबंध में श्री लाखो गोप जयनगर कोडरमा का शिकायत ।	16.07.2014	परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है अतः उन्हे इसका लाभ लेना चाहिए । उक्त के आलोक में शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खरिज कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं. 267/13	मानगो शकोसाई में सरकारी जमीन का घोटाला के	15.07.2014	परिवादी द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र

		संबंध में श्री रमेश प्रसाद गुप्ता लातेहार का शिकायत ।		में व्याप्त त्रुटी का निरकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं. 163/14	नगर पंचायत कर्मचारियों के वेतन भुगतान में कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत गुमला द्वारा मनमानी एवं अनियमितता बरतने के संबंध में आशा देवी का शिकायत ।	4.07.2014	परिवादीनी द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निरकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं. 326/13	बिना जांच किये हुए जांच प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में श्रीमती शारदा देवी हजारीबाग का शिकायत ।	10.07.2014	परिवादीनी द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निरकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं. 258/14	माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड के आदेश की अहवेलना के संबंध में श्री रामदेव प्रसाद यादव, पलामू का शिकायत ।	10.07.2014	माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेश पारित किया जा चूका है। अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं. 316/14	प्राथमिक एवं अन्य शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं होने के संबंध में श्री अरूण कुमार सिंह पूर्वी सिंहभूम का शिकायत ।	16.07.2014	शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं. 309/2014	नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति,पदस्थापन/स्थानान्तरण निलंबन के संबंध में प्राप्त शिकायत ।	16.07.2014	शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा इस पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
9.	शिकायत सं. 265/2014	अस्वास्थ्य/अक्षम रहने के बावजूद भी कार्यरत रहना । श्री रामजनम मिश्र साहेबगंज ।	10.07.2014	शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
10.	शिकायत सं. 316/13	राष्ट्रीय उच्च पथ सं.–80 के निमार्ण हेतु आवंटित कार्य में संवेदक द्वारा सरकारी राशियों के दरूप्योग के संबंध में मो0 इस्तेखार , बरहरबा, साहेबगंज का शिकायत ।	15.07.2014	परिवादी द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निरकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
11.	शिकायत सं. 305/14	गोड्डा थाना काण्ड सं 454/2013 में गलत तरिके से फंसाये जाने के संबंध में श्री भीम कुमार तत्कालिन कार्यपालक अभियंता गोड्डा का शिकायत।	22.07.2014	पुलिस द्वारा केस दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है अतः इस पर किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
12.	शिकायत सं. 338/14	सलमान खान नामक व्यक्ति द्वारा गिरिडीह के जनता	16.07.2014	पुलिस द्वारा केस दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है

		को ठगने व सरकारी जमीन हड़पने के संबंध में ।		अतः इस पर किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
13.	शिकायत सं.216/2014	एम.ए.सी.पी. तथा अन्य भुगतानों के लाभ से वंचित किये जाने के संबंध में श्री बशिष्ट नरायण शर्मा, गुमला का परिवाद ।	10.07.2014	वाद से संबंधित अवमानना वाद सं.660/2013 माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में लंबित है अतः शिकायत पोषणीय नहीं है। उक्त के आलोक में शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
14.	शिकायत सं. 248/2014	हाट बजार की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के संबंध में जयवन्त चौधरी, रंका, गढ़वा का शिकायत ।	24.07.2014	इसी वाद पर विविध वाद सं 40/2013 पर अनुमंडलीय दंडाधिकारी रंका द्वारा समूचित आदेश पारित किया जा चूका है । अतः वाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।